श्री रमेश
9715
22/7/2021

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(20)शिक्षा/ग्रुप–3/2021 जयपुर, दिनांक:– 22/7/2021

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–08 की अनुपालना में निम्नांकित महाविद्यालयों को स्नातक(यू.जी.) से स्नातकोत्तर (पी.जी.) स्तर में क्रमोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ किये जाने की सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती है :–

क्रं. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय	पदनाम व स्वीकृत पदों की संख्या		बजट मद
1	राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर।	विज्ञान संकाय–रसायनशास्त्र	सहायक आचार्य	02	मांग सं.–24 2202–03–103 –02–00 राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के लिए) राज्य निधि
			प्रयोगशाला सहायक	01	
		कला संकाय–इतिहास	सहायक आचार्य	02	
2	राजकीय महाविद्याय, कोलायत (बीकानेर)।	कला संकाय–हिन्दी	सहायक आचार्य	02	
		कला संकाय–इतिहास	सहायक आचार्य	02	
3	राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा (जोधपुर)	कला संकाय–समाजशास्त्र	सहायक आचार्य	02	
4	राजकीय महाविद्यालय सपोटरा(करौली)	कला संकाय–राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य	02	मांग सं.– 30 2202–03–796 –01–00 राजकीय महाविद्यालय (जनजातिय क्षेत्र) राज्य निधि
			कुल योग	13	

(1) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु 13 शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय इन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। उक्त राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(2) सोसाइटी के गठन होने तक उक्त महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।

(3) आवर्तक व्यय राशि रूपये 98.40 लाख के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आयुक्तालय को उपलब्ध बजट प्रावधान से राशि व्यय किये जाने एवं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान के समुचित प्रस्ताव बीएफसी के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में 02 कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला कक्ष के निमार्ण हेतु बजट मद 4202–01–203–(01)–(90)–17–वृहद निर्माण में लागत राशि रूपये 60.00 लाख की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय इस हेतु सम्बन्धित बजट मद में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान का उपयोग करें तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि के प्रावधान हेतु बीएफसी के समय वांछित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 102102662 दिनांक 15.07.2021 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय शर्मा)
शासन उप सचिव

22/7/2021

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (आर.वी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

20/07

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 20 (101/)/आयो/आकाशि/2021/ 792 - 806 दिनांक: 23/7/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
8 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
9 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
10 कुल सचिव, संबधित विश्वविद्यालयो को भेजकर कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किय`गये विषयो का सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
11 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
12 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
13 संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन /(अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृत पदो को भरने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
14 प्राचार्य, संबधित राजकीय महाविद्यालय ।
15 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा,राज.जयपुर